न्यायालय राजस्व मंण्डल म.प्र ग्वलियर

प्र.क / 2017 (रिवीजन)

R 927-II-17

श्री पी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 21-3-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

21-3-17

1. रामलोटन उम्र 70 वर्ष जाति ब्राहम्मण
2. रामप्रकाश उम्र 64 वर्ष जाति ब्राहम्मण
3. बालक राम उम्र 57 वर्ष जाति ब्राहम्मण
4. स्वामीशरन उम्र 50 वर्ष जाति ब्राहम्मण
5. सुरेश कुमार उम्र 57 वर्ष जाति ब्राहम्मण

पुत्रगण. द्वारिकाप्रसाद समस्त निवासीगण. ग्रामखितौली परगना मिहोना जिला– भिण्ड

आवेदकगण

बनाम

आशीष कुमार पुत्र श्री रामन्रेश पाराशर उम्र 13 वर्ष द्वारा सरपरस्त पिता रामनरेश पाराशर (पुत्र द्वारिका प्रसाद जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम खितौली,परगना मिहोना जिला भिण्ड म.प्र)

अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2017. प्र.क. 39 / 15–16 / अ.6. द्वारा ~~पारित~~ पारित तहसीलदार मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र)

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष निगरानी आवेदन निम्न लिखित प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-927-दो/17 **जिला - भिण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	